



APR

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/61/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 31.07.2018

श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91-न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय


दिनांक 21.08.2018



सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 21.06.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 61/2018/(21.08)/760 दिनांक 01.08.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.08.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 21.08.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जरिये पत्रांक 233 दिनांक 21.08.2018 से अपना पक्ष रखा कि उसके द्वारा 1 से 3 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई जो कि काल्पनिक, सृजनात्मक एवं प्रश्नात्मक नहीं है अतः वांछित सूचना निः शुल्क दिलावें।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



M13

-2-

प्रकरण संख्या 61/2018 (सू.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/653 दिनांक 16.08.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2018 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 25.06.2018 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के समस्त तथ्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ से संबन्धित होने से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1886 दिनांक 05.07.2018 से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ से होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत नियत समय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरण कर दी गई है जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।



हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/653 दिनांक 16.08.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र

लोक सूचना अपीलार्थी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 61/2018 (सू.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

से चाही गई सूचना मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1886 दिनांक 05.07.2018 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी गई, जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करे।



(इन्द्रजीत सिंह)

आर्क्ष ए एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./61/2018(सू.अ.)/840

दिनांक:- 24 / 8 / 2018

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
3. श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91-न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)